

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर - थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, प्र.नि.ब्यूरो जयपुर..... वर्ष 2022
2. प्र.इ.रि.सं. 36 / 2022 दिनांक 8/2/22
  - (I) \* अधिनियम - भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018.... धारा -7
  - (II) \* अधिनियम भा.द.सं. धारा -
  - (III) \* अधिनियम..... धाराएं.....
  - (IV) \* अन्य अधिनियम एवं धाराएं.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 145 समय 5:30 P.M.,  
(ब) अपराध घटने का दिन व समय- गुरुवार दिनांक 07.02.2022 वक्त 02:33 पीएम.....  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक - 04.02.2022 वक्त 02:00 पी.एम.....
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक - लिखित
5. घटनास्थल :-  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी - बजानिब उत्तर-पूर्व करीब 70 किलोमीटर  
(ब) पता - कार्यालय सहायक अभियंता (वितरण), जोधपुर विद्युत वितरण निगर लिमि, लूणकरणसर, जिला बीकानेर  
बीटसंख्या.....-.....जुरायमदेही सं.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-  
(अ) नाम - श्री मुरलीधर  
(ब) पिता/पति का नाम - श्री बीरबलराम  
(स) जन्म तिथि/आयु - 34 वर्ष  
(द) राष्ट्रियता - भारतीय  
(य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि..... जारी होने की जगह.....  
(र) पेशा - कृषक  
(ल) पता - गांव किशनासर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-  
मुबारक अली पुत्र श्री मोहम्मद आमीन, जाति मुसलमान, आयु 35 वर्ष, निवासी गली नंबर 13, घोबी तलाई, रानी बाजार, बीकानेर हाल वाणिज्यक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (वितरण) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लूणकरणसर, जिला बीकानेर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- कोई विलम्ब नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य रिश्वती राशि 1,000/- रुपये.....
11. पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :-  
महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 04.02.2022 को श्री मुरलीधर पुत्र श्री बीरबलराम, जाति जाट, उम्र 34 वर्ष, निवासी गांव किशनासर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर ने कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर एक लिखित रपोर्ट मन पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा के समक्ष इस आशय की पेश की कि सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर विषय : लूणकरणसर बिजली विभाग के बाबू मुबारक खान द्वारा रिश्वत मांगने पर रंगे हाथों पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं मुरलीधर पुत्र बीरबलराम जाति जाट, निवासी किशनासर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर का रहने वाला हूं। हमारी रिश्तेदार सीमा पत्नी मूलाराम जाट निवासी गुसाईसर के नाम से मेरे पिताजी बीरबलराम के खेत में 2 बीघा जमीन है। उस जमीन पर सीमा पत्नी मूलाराम के नाम से कृषि कनैक्शन फाईल स्वीकृत हुई है। उक्त कनैक्शन स्वीकृत होने के बाद हमारी रिश्तेदार सीमा पत्नी मूलाराम द्वारा मुझे लूणकरणसर बिजलीघर में संपर्क करके बिजलीघर की सारी कार्यवाही करवाने तथा कृषि कुंए कनैक्शन का सामान बिजलीघर से प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु मुझे निर्देश दिए गए थे। यह कनैक्शन हमारे खेत के बीच में है व हमारी रिश्तेदार सीमा पत्नी मूलाराम द्वारा बाद में यह कनैक्शन हमारे नाम करने की सहमति हो रखी है। उक्त कृषि विद्युत कनैक्शन स्वीकृत होने के बाद कुंए के बिजली कनैक्शन के लिए बिजलीघर से सामान प्राप्त किया जाता है, उक्त सामान में से लगभग सामान मिल चुका है तथा मुख्य आइटम ट्रांसफार्मर व डी.ओ. लूणकरणसर बिजलीघर से मिलना शेष है। हमारी फाईल नंबर 77 है। यह काम करवाने के लिए मैं पिछले लगभग 8 महीने से लूणकरणसर बिजली विभाग में क्लर्क मुबारक खान के चक्कर लगा रहा हूं। लेकिन मुबारक खान द्वारा फाईल में बार बार कोई न कमी बताकर रिश्वत की मांग की जाती है। मैं पूर्व में मुबारक

*Ban*

खान को दो बार 5000-5000 रुपये व घी दे चुका हूं। मैं आज सुबह पुनः गया तो मुबारक खान ने मुझसे ट्रांसफार्मर व डी.ओ. जारी करने के लिए पुनः 5000 रुपयों की मांग की है। मैं हमारे जायज काम के लिए मुबारक खान क्लर्क को कोई रिश्वत नहीं देना चाहता हूं तथा उसको रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। कृपा करके कानूनी कार्यवाही करें। भवदीय एसडी मुरली, मुरलीधर पुत्र बीरबलराम जाति जाट, निवासी किशनासर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर 9610405547, दिनांक 04.02.2022, परिवादी श्री मुरलीधर की लिखित शिकायत का अवलोकन किया गया। मजीद दरियाफत पर श्री मुरलीधर पुत्र श्री बीरबलराम, जाति जाट, उम्र 34 वर्ष, निवासी गांव किशनासर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर ने बताया कि यह प्रार्थना पत्र मैंने मेरे विश्वासपात्र व्यक्ति से टाईप करवाकर पढवा लिया है जो सही है। जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनः शब्द ब शब्द परिवादी को पढकर सुनाया गया तो इसमें लिखे तथ्य सही सही होना स्वीकार किया तथा प्रार्थना पत्र पर बतौर मुरलीधर अपने ही हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी मुरलीधर ने बताया कि मैं लूणकरणसर बिजलीघर में क्लर्क मुबारक खान के चक्कर लगाते लगाते थक चुका हूं व पूर्व में भी रिश्वत दे चुका हूं। मैं मुबारक खान को अब आगे और रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। कृषि कनेक्शन नहीं मिलने के कारण हमारी रिश्तेदार सीमा पत्नी मूलाराम की फसल खराब हो रही है। मेरा मुबारक खान क्लर्क से कोई उधारी का लेन देन नहीं है तथा कोई रंजिश भी नहीं है। सीमा पत्नी मूलाराम से संबंधित मेरे पक्ष का उचित दस्तावेज/प्रार्थना पत्र मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। परिवादी की रिपोर्ट के तथ्यों के संबंध में श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो, बीकानेर जो मुख्यालय से बाहर हैं, को जरिये दूरभाष निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें परिवादी श्री मुरलीधर को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के संबंध में प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। परिवादी श्री मुरलीधर ने बताया कि मैं आज शाम को ही मुबारक खान क्लर्क से उसके कार्यालय बिजलीघर लूणकरणसर में रुबरु होकर हमारे कृषि कनेक्शन का सामान जारी करवाने के संबंध में बातचीत करके उसकी रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा सकता हूं। इस पर श्री मनोहरलाल, कानि 115 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर चौकी के मालखाना से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड लाने के निर्देश पर श्री मनोहरलाल कानि ने मालखाना प्रभारी श्री राजवीर हैड कानि 115 से प्राप्त कर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् श्री मनोहरलाल कानि का मौजूदा परिवादी मुरलीधर से आपसी परिचय करवाया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से परिवादी एवं श्री मनोहरलाल कानि. को समझाया गया। तत्पश्चात् नया मेमोरी कार्ड डिजिटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित किया गया। श्री मनोहरलाल कानि. को निर्देश दिए गए कि सत्यापन के दौरान परिवादी को आरोपी से संपर्क करने हेतु रवाना करते समय सावधानीपूर्वक डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। तत्पश्चात् परिवादी के साथ श्री मनोहरलाल, कानि को परिवादी श्री मुरलीधर के साथ रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने हेतु लूणकरणसर बिजलीघर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 06:30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री मनोहरलाल कानि से जरिये दूरभाष वार्ता की। श्री मनोहरलाल कानि ने बताया कि परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर देकर संदिग्ध से वार्ता हेतु रवाना किया था। करीब 10-15 मिनट बाद परिवादी ने वापस आकर टेप रिकॉर्डर मुझे दे दिया जिसे मैंने बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा है। परिवादी ने आरोपी से वार्ता की है। आरोपी मुबारक ने परिवादी से 1000 रुपये रिश्वत की मांग की है। परिवादी अब रात्रि होने के कारण अपने घर जाना जरूरी होना बताने से श्री मनोहरलाल कानि को चौकी हाजा पहुंचने के निर्देश दिए गए तथा परिवादी की वार्ता अनुसार ट्रेप कार्यवाही के सफल आयोजन हेतु दिनांक 07.02.2022 को ब्यूरो कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए। वक्त 08:20 पीएम पर श्री मनोहरलाल कानि ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार परिवादी को उसके गांव के लिए रुखसत कर दिया था। मैं जरिये बस रवाना होकर चौकी आया हूं। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होनी पाई गई व परिवादी तथा कानि मनोहरलाल द्वारा अवगत करवाए गए तथ्यों की ताईद हुई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा।

दिनांक 07.02.2022 को परिवादी श्री मुरलीधर से जरिये दूरभाष संपर्क होने पर परिवादी ने अवगत करवाया कि मैं अभी लूणकरणसर से रवाना हो चुका हूं। लगभग एक घंटे में ब्यूरो पहुंच जाऊंगा। इस पर अग्रिम कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से अति मुख्य अभियंता, पीएचईडी, विभाग के नाम तहरीर मुर्तिब कर श्री मनोहरलाल कानि को गवाह तलबी हेतु रवाना किया गया। इसी दौरान एसयू कार्यालय से श्री दलीप खत्री पुलिस निरीक्षक एवं स्टाफ श्री मंगतुराम कानि को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के संबंध में चौकी हाजा पर आने हेतु निवेदन किए जाने पर चौकी पर उपस्थित हुए हैं। वक्त 10:20 एएम पर परिवादी श्री मुरलीधर उपस्थित चौकी आया। परिवादी मुरलीधर ने दिनांक 04.02.2022 को संदिग्ध अधिकारी मुबारक खान से हुई वार्ता के तथ्यों को दोहराया। परिवादी ने अपने पिता बीरबलराम द्वारा श्रीमती सीमा पत्नी मूलाराम जाट निवासी गुसाईसर को 2 बीघा कृषि भूमि का विक्रय पत्र एवं श्रीमती सीमा देवी पत्नी मूलाराम निवासी गुसाईसर द्वारा परिवादी मुरलीधर को मुखत्यार आम नियुक्त किए जाने से संबंधित मुखत्यार आम दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रतियां तथा एसीबी कार्यवाही हेतु मुरलीधर को अधिकृत किए जाने का एक अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद अवलोकन शामिल कागजात किए गए। तत्पश्चात् रिपोर्ट सत्यापन वार्ता के डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय कंप्यूटर पर कनेक्ट करके रिकॉर्ड वार्ता को परिवादी

*(Signature)*